

प्रेषक,

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2007

विषय: नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत शासनादेशों में
संशोधन/सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1642 / 8-4-06-137 एन / 2004,
दिनांक 04.08.2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त
शासनादेश द्वारा नजूल भूमि पर अनाधिकृत रूप से अविकसित गरीब व्यक्तियों के
अधिकतम् 100 वर्गमीटर तक के आवासीय क्षेत्रों को पट्टा देकर विनियमित किये
जाने संबंधी शासनादेश संख्या: 3082 / 9-आ-4-95-628 एन / 95, दिनांक
01 जनवरी, 1996 एवं शासनादेश संख्या 2873 / 9-आ-4-02- 152 एन / 2000 टीसी,
दिनांक 10.12.02 के प्रस्तर-4 की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है, और वे
प्रभावी हैं। कृपया तदनुरूप अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह0/-

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव